India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees' Welfare Association, New Delhi, a Social Welfare organisation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, has addressed some letters to the Ministry of Home Affairs during the period January, 1969 to March, 1970;

(b) whether the Association is a Society registered under the Societies Registration Act;

(c) whether any replies sent to the Association; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been stated on behalf of the Association that it is a registered Society,

(c) Yes, Sir,

(d) Does not arise.

हरिजनों तथा हरिजन लड़कियों पर ज्यादतियों को रोकने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन

9833. श्री बंशनारायण सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक हरिजन लड़की से छेड़छाड़ के बारे में 20 अप्रैल, 1970 के दैनिक "नव भारत टाइम्स" के पृष्ठ 3 पर छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार हरिजन लड़कियों से बलात्कार तथा छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने तथा हरिजनों के जान व माल की रक्षा की दृष्टि से एक उच्च शक्ति प्राप्त वाला आयोग बनाने का है ; जिसका चेयरमैन तथा अन्य सदस्य हरिजन हों ;

(ग) क्या भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने का विचार है ताकि लड़की से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया जा सके ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में समूचे देश में हरिजनों की हत्यायें की गई, कितने हरिजनों को जीवित जलाया गया, कितनी हरिजन लड़कियों से बलात्कार तथा छेड़छाड़ की गई और कितने हरिजनों को अपना धर्म बदलने पर बाध्य किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) नागालैंड सरकार तथा मणिपुर, अन्दमान व नीकोबार द्वीप समूह और नेफा के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे कोई मामले नहीं हुए हैं । शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

मंत्रालयों में हिन्दी न जानने वाले अधिकारी

9834. श्री बंश नारायण सिंह :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में हिन्दी न जानने वाले कितने अधिकारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारी अपने चपरासियों से भी अंग्रेजी में बात करते हैं ;

(ख) हिन्दी अध्यापन योजना के अन्तर्गत उनको हिन्दी का प्रशिक्षण न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसे अधिकारियों को दिसम्बर 1970 तक हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित होने को विवश किया जायेगा ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उपलब्ध सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-3537/70]

(ख) ऐसा कोई दृष्टान्त गृह मंत्रालय के ध्यान में नही आया है।

(ग) से (ङ) उन सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए जिनकी आयु 1-1-1961 को 45 वर्ष से कम थी, सेवा में हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य है। भारत सरकार के मंत्रालयों। विभागों/कार्यालयों को अपने उन कर्मचारियों की सूचियां रखने में अनुदेश दिये गये हैं जिन्हें अभी हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस सूची से लगभग 20 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अतः हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों को दिसम्बर, 1970 तक हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तथापि उनके प्रशिक्षण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण तथा केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए एक प्रबल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाटों द्वारा हरिजनों पर ज्यादतियां

9835. **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फर नगर तथा सहारनपुर जिलों में जाटों द्वारा हरिजनों पर की जाने वाली ज्यादतियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) 1967 के आम चुनाव से मार्च, 1970 तक जाटों द्वारा हरिजनों पर कितनी बार बलात्कार किया गया, उनकी मारपीट की गई तथा हत्या की गई जिनके बरे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है;

(ग) इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषियों के विरुद्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कोई कठोर कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मंत्रियों के निजी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग

9836. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और